मैनुअल–6

बोर्ड,परिषदों,समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

Manual-6

A statement of boards, council, committees and other bodies constituted as its part

मैनुअल –6

उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड

उत्तराखण्ड जल संस्थान का गठन उत्तरांचल शासन के पेयजल अनुभाग– 2 देहरादून की अधिसूचना संख्या 2083/ नौ–2(41–अधि0)2002 देहरादून दिनांक 26 अगस्त 2002 से किया गया है । उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर ब्यवस्था अधिनियम–1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 , उत्तरांचल शासन पेयजल अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2231/ नौ–2(12 अधि0)/ 2001 देहरादून दिनांक 07 नवम्बर 2002 से जारी की गयी है ।

उत्तराखण्ड जल संस्थान का मुख्यालय ''जल भवन'' बी–ब्लाक, नेहरु कालोनी देहरादून में अवस्थित है तथा इसके कार्यो के नियन्त्रण एवं कार्यकलापों के सही संचालन के लिये उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड का गठन उपरोक्त अधिसूचना संख्याः 2231 दिनांक 07 नवम्बर, 2002 से किया गया है । उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड के पदेन अध्यक्ष सचिव पेयजल विभाग, होगे ।

अध्यक्ष से भिन्न सदस्य निम्नलिखित व्यवस्था से नियुक्त किये जाने हैं :–

(क) राज्य सरकार द्वारा , अर्हित अभियन्ता जिनके पास प्रशासनिक अनुभव तथा जल सम्भरण एवं सीवरेज कार्य से संबंधित अनुभव हो , प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जायेगा तथा जिसे इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो , इस पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह होगा ।

(ख)	राज्य सरकार का वित्त सचिव –	पदेन सदस्य
(ग)	राज्य सरकार का नियोजन विभाग का सचिव–	पदेन सदस्य
(घ)	राज्य सरकार का नगर विकास विभाग का सचिव–	पदेन सदस्य
(ङ)	राज्य सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक–	पदेन सदस्य
(च)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वित्त निदेशक जिसे वित्त एवं लेखों का ज्ञान एवं अनुभव हो–	पदेन सदस्य
(छ)	राज्य सरकार द्वारा नामित , एक नगर निगम से सम्मिलित करते हुए, चार स्थानीय निकायों के , निर्वाचित प्रधान –	सदस्य
(ज)	उत्तरांचल जल संस्थान के मुख्य महाप्रबन्धक	पदेन सदस्य

(झ) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचना जारी करके की जाती है ।

उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड की भूमिका प्रबन्धकीय कार्यकारणी के रूप में है ।

उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड की बैठक में जनता भाग नही लेती है। बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ।

2— स्थायी स्थानान्तरण समिति :—

(क) विभागाध्यक्ष स्तरीय स्थायी स्थानान्तरण समिति

शासनादेश संख्या 1050/XXX (2) /2005 कार्मिक अनुभाग—2, देहरादून दिनांक 29 अप्रैल, 2005 से जारी स्थानान्तरण नीति उत्तरांचल शासन पेयजल अनुभाग के शासनादेश संख्या 172/ उन्तीस/05/2005 दिनांक 1 जून, 2005 से उत्तरांचल जल संस्थान में लागू की गयी ।

शासन की स्थानान्तरण नीति में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान के कार्यालय ज्ञाप संख्या 994/अधि0स्थायी स्था0स0ग0/2005—06 दिनांक 7—6—2005 से जारी एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 1053/ अधि0स्थायी स्था0स0ग0/2005—06 दिनांक 10—6—2005 से संशोधित आदेशों के अनुसार विभागाध्यक्ष स्तरीय स्थायी स्थानान्तरण समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया :—

1—	महाप्रबन्धक (गढ़वाल)	पदेन अध्यक्ष
2—	महाप्रबन्धक (कुमायूँ)	पदेन सदस्य
3—	सचिव अप्रैजल	पदेन सदस्य
4—	सचिव प्रशासन	पदेन सदस्य
5—	श्री वी0के0 मित्तल सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग	अन्य विभाग के नामित सदस्य

विभागाध्यक्ष स्तरीय स्थायी स्थानान्तरण समिति का मुख्य कार्य शासन से निर्गत स्थानान्तरण नीति के प्राविधानों तथा उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 के अनुसार समूह—ख एवं समूह—ग के रुपये 4000—6000 से ऊपर के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण की संस्तुति उत्तरांचल जल संस्थान के विभागाध्यक्ष को देंना है ।

यह समिति परामर्शदात्री समिति है , इस समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत की जाती है तथा इसका कार्यवृत्त तैयार होता है । इस बैठक में जनता भाग नहीं लेती है।

(ख) मण्डल स्तरीय स्थायी स्थानान्तरण समिति :—

शासन के स्थानान्तरण नीति में दिये गये प्राविधाना / निर्देशों के अनुसार मुख्य महाप्रन्धक उत्तरांचल जल संस्थान के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1312 / अधि0स्थायी स्था0 स0 ग0/ 2005—06 दिनांक 25—6—2005 से महाप्रबन्धक गढ़वाल एवं महाप्रबन्धक कुमायूँ को मण्डल स्तरीय स्थायी स्थानान्तरण समिति के गठन किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं ।

3— सीधी भर्ती चयन समिति

उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में दी गयी ब्यवस्था के अनुसार समूह—घ एव समूह—ग के पदो जिन्हे सीधी भर्ती से भरा जाना हे , के नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य महाप्रबन्धक होगे ।

सेवा विनियमावली के भाग—5 के नियम 16 से उत्तरांचल जल संस्थान में सीधी भर्ती के पदों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा / साक्षात्कार से भरे जाते हैं । इस हेतु मुख्य महाप्रबन्धक

के कार्यालय आदेश संख्या 323/ अधि0 डी0पी0सी0/2005–06 दिनांक 27 अप्रैल, 2005 से विभागीय चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :–

1–	वित्त निदेशक	पदेन अध्यक्ष
2–	महाप्रबन्धक (गढ़वाल/कुमायूॅ)	पदेन सदस्य
3–	सचिव प्रशासन	पदेन सदस्य/संयोजक
4–	श्री डी0के0 सिंह सहायक अभियन्ता	नामित सदस्य (प्रतिनिधि अनुसूचित जाति संवर्ग)

इस समिति द्वारा सेवा विनियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नई नियुक्ति की चयन प्रकिया को पूर्ण करके नियुक्ति हेतु अपनी संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा ।

इस समिति की भूमिका परामर्शदात्री समिति के रूप में हैं तथा इसकी बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती है । इस इस समिति की बैठक में जनता भाग नहीं लेती है तथा इसके बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है ।

4– पदोन्नति हेतु चयन समिति :–

उत्तरांचल जल संस्थान कर्मचारी सेवा विनियमावली 2004 में दी गयी ब्यवस्था के अनुसार उत्तरांचलजल संस्थान के विहित कार्मिकों की पदोन्नति किये जाने हेतु वर्ग–1,2 एवं 3 के पदों हेतु मुख्य महाप्रबन्धक के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2747/ अधि0डी0पी0सी0/04–05 दिनांक 09 नवम्बर,2004 से निम्न विभागीय चयन समिति का गठन किया गया है :–

1– वित्त निदेशक उत्तरांचल जल संस्थान	पदेन अध्यक्ष
2– महाप्रबन्धक (गढ़वाल/ कुमायूॅ)	पदेन सदस्य
3– सचिव प्रशासन (अधीक्षण अभियन्ता)	पदेन सदस्य
4– श्री उत्तम कुमार अधिशासी अभियन्ता,	नामित सदस्य (प्रतिनिधि अनुसूचित जाति/ जन जाति)
5– श्री डी0एस0 रावत लेखाधिकारी	नामित सदस्य /सदस्य सचिव

इस समिति की भूमिका परामर्शदात्री समिति स्तर की है । इस समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत की जाती है जिसका कार्यवृत्त तैयार किया जाता है । इस की बैठक में जनता भाग नहीं लेती है ।

शासनादेश संख्याः– 588/XXX(2)/2008 कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 29 मई, 2008 से सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति प्रेषित की गयी है। इस स्थानान्तरण नीति के अनुसार विभागाध्यक्ष स्तरीय स्थाई स्थानान्तरण समिति का गठन कार्यालय आदेश संख्याः– 1295 दिनांक 09.06.2008 से निम्नवत किया गया जिसकी सूचना अन्य के साथ–साथ सचिव पेयजल महोदय को प्रेषित की गयी। सचिव महोदय द्वारा दिनांक 19.06.2008 को दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित समिति में निम्नवत आंशिक संशोधन किये जाना हैः–

1. महाप्रबन्ध कुमायूँ	अध्यक्ष
2. महाप्रबन्धक गढ़वाल	सदस्य
3. सचिव, अप्रैजल	सदस्य
4. सचिव, प्रशासन	सदस्य सचिव
5. दूसरे विभाग के नामित सदस्य के रुप में श्री एस.के. गोयल महाप्रबन्धक(प्रशासन) उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून का नाम प्रस्तावित किया जाता है।	नामित सदस्य

अतः संशोधित कार्यालय आदेश का प्रारुप पत्रावली की सीधी ओर संलग्न है। कृपया अनुमोदन/हस्ताक्षर करना चाहें।

(एस.के. गुप्ता)
सचिव (प्रशासन)

मुख्य महाप्रबन्धक महोदय

दूरभाष (का0) 0135–2676260
फैक्सः 0135–2676177
E-mail:cgm-js-ua@nic.in

उत्तराखण्ड जल संस्थान
'जल भवन' बी–ब्लॉक नेहरू कालोनी, देहरादून

पत्र सं0/ 1295/कार्मिक/01/स्थाई स्था. समिति/72/2008–09 दिनांकः 09.06.2008

कार्यालय ज्ञापः

शासनादेश संख्या–588/xxx(2) /2008 कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 29 मई, 2008 के कम में उत्तराखण्ड जल संस्थान के विभागााध्यक्ष स्तरीय स्थाई स्थानान्तरण समिति का गठन इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1295 दिनांक 09.06..2008 से किया गया था। उक्त गठित समिति के कमांक 1 एवं 2 में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता है। शेष समिति यथावत् रहेगी।

1.	महाप्रबन्धक(कुमायूॅं)	अध्यक्ष
2.	महाप्रबन्धक (गढवाल)	सदस्य
3.	सचिव, अप्रैजल	सदस्य
4.	सचिव, प्रशासन	सदस्य सचिव

5. दूसरे विभाग के नामित सदस्य के रूप में श्री एस0के0गोयल महाप्रबन्धक (प्रशासन उत्तराखण्ड) पेयजल निगम, देहरादून का नाम प्रस्तावित किया जाता है।

(एच0पी0उनियाल)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0/ /कार्मिक /01/स्थाई स्था0समिति/72/2008 तद् दिनांक
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उनसे हुई वार्ता के कम में सादर सूचनार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
3. वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक (कुमायूॅं) एवं अध्यक्ष, स्थानान्तरण समिति उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल।
5. महाप्रबन्धक (गढवाल) एवं समिति सदस्य, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौडी।
6. श्री एस0के0 गोयल महाप्रबन्धक (प्रशासन) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. सचिव, अप्रैजल एवं समिति सदस्य, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
8. सचिव, (प्रशासन) एवं समिति सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून/नैनीताल।
10. सहायक लेखाधिकारी (अधि0) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11. आदेश पंजिका / गार्ड फाइल / संबंधित की व्यक्तिगत पत्रावली।

मुख्य महाप्रबन्धक

संख्या–805 / XXX(2) / 2008

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचित।
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
   उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 16 जून, 2008

विषयः– सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदश हुआ है कि शासनादंश संख्या 805 XXX(2) / 2008 दिनांक 29 मई 2008 द्वारा निगंत स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर – 10 में भमस्त स्थानान्तरण यथासमभव 15 जून तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. इस संबंध में सम्यकू विचारोपरानत शासन द्वारा बर्तमान सत्र हेतु बार्पिक स्थानान्तरण को समयावधि दिनांक 15 जून 2008 के स्थान पर दिनांक 05 जुलाई 2008 निर्धारित किय जान का निर्णय लिया गया है। कृपया पुनर्निर्धारित अवधि दिनांक 05 जुलाई 2008 तक वार्पिक स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
अपर सचिव

संख्याः– 805 XXX(2) / 2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपितः

1. सचित, श्री राज्यपाल।
2. सचित, विधान सभा।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोपाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से
(रमेश चन्द्र लोहना)
संयुक्त सचिव

संख्या–588 / XXX(2) / 2008

प्रेषक,

एस0के0दास,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचित।
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 29 मई, 2008

विषयः– सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए वार्पिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में विभिन्न सेवाओं में स्थानान्तरण एक आवश्यक व्यवस्था है जो प्रशासन, समाज व सरकारी सेवा सभी के हित में है। सुप्रशासन में स्वच्छता व कर्मचारी के कार्य में निष्पक्षता तभी संभव है जब कार्मिक अपने अधिकार क्षेत्र में सेवाभाव के साथ–साथ सुप्रशासन कार्य न्यायिक दृष्टि को समान रूप से रखते हुए करें। इस हेतु यह आवश्यक है कि तैनाती के स्थान पर कर्मचारी के ऐसे संबंध या लगाव न हो जिससे उसे विवके पूणे निर्णय लेने पर प्रतिकूल प्रभाव या दबाव पड़े। स्थानान्तरण नीति इसी उद्देश्य से बनाई जाती है और विशेष परिस्थिति में इस सामान्य नियम के अपवाद भी है। उत्तराखण्ड राज्य का अधिकतम भू–भाग पर्वतीय क्षेत्रों से आच्छादित है इसमें भी अधिकतम भू–भाग दुर्गम स्थानों में स्थित है जहॉ स्थित विभागों की स्थिति सुगम स्थानों में कार्य कर रहे कार्मिकों से भिन्न होती है। अतः उत्तराखण्ड में सुगम तथा दुर्गम स्थानों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थानान्तंरण नीति विषयक शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती हैः–

(1) कार्मिकों के स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन स्तर पर, विभागाध्यक्ष, मण्डल एवं जनपद स्तर पर प्रतयेक विभागवार स्थायी स्थानान्तरण समितियों का गठन किया जाय, जिसमें विभाग के अधिंकारियों के अतिरिक्त एक अधिकारी दूसरे विभाग के भी नामित किए जायं। शासन स्तर पर अवस्थापना विकास आयुक्त शाखा, एफ0आर0डी0सी0 शाखा तथा समाज कल्याण आयुक्त शाखा को छोड़कर अन्य विभागों में स्थानान्तरण समिति में एक अधिकरी कार्मिक विभाग द्वारा नामित किया जायेगा। वार्षिक स्थानान्तरण / परिवर्तन / निरस्तीकरण हेतु प्राप्त सभी प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जायेंगे। समिति इस प्रकार प्राप्त समस्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत संबंधित कार्मिकों के स्थानान्तरण करने की संस्तुति करेगी और उस संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण आदेश संबंधित विभाग / विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्गत किए जायेंगे।

(2) स्थानान्तरण किये जाने हेतु स्थानान्तरण की परिधि में आने वाले कार्मिकों से 03 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जायेंगे और प्राप्त विकल्पों को स्थानान्तरण समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) वार्षिक स्थानन्तरण सुगम क्षेत्रो में कुल अधिकारी/कर्मचारी संख्या के 20 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेंगे और दुर्गम क्षेत्रों में कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक ही सीमित रखे जायेंगे, और यदि निर्धारित संख्या से अधिक स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक हो तो समूह ''क एवं ख'' के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।वार्षिक स्थानान्तरण के समय यह भी ध्यान में रखा जाय कि दुर्गम स्थानों में रिक्तियॉ अधिक है तो उन्हें भरने के लिए सुगम क्षेत्रों की 20 प्रतिशत की स्थानान्तरण सीमा को प्रशासकीय विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकता है। विभागों द्वारा सेवा संवर्गो की आवश्यकता एवं उनकी कार्यप्रणाली एवं क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सुगम एवं दुर्गम स्थानों में ही किया जायेगा।

1– सुगम एवं दुर्गम स्थानों के सम्बन्ध में प्रत्येक विभाग अपने विभाग के कार्य एवं मानदण्डों के आधार पर निर्धारण करेंगे।

2– <u>सामान्य स्थानान्तरण निम्नलिखित परिस्थितियों में ही किया जायेः–</u>

(1) सामान्य अवधि पूरी होने पर परन्तु, सबसे अधिक समय से कार्यरत कार्मिक से प्रारम्भ करते हुए ।

(2) पदोन्नति पर।

(3) रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु।

(4) प्रतिनियुक्ति से वापसी पर।

(5) स्वयं के व्यय पर पारस्परिक स्थानांतरण पर।

(6) दुर्गम स्थानों में रिक्तियों की पूर्तियों हेतु।

3– <u>तैनाती की सामान्य अवधिः–</u>

प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानांतरणों को छोड़कर तैनाती की अवधि निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

(1) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के लिए विभिन्न स्थानों में एक जिले में समस्त पदों को सम्मिलित करते हुए तैनाती की अवधि, सुगम क्षेत्र के लिए सामान्यतः 03 वर्ष परन्तु अधिकतम 05 वर्ष होगी। दर्गुम क्षेत्रों में सामान्यतः अवधि 02 वर्ष एवं अधिकतम् 03 वर्ष होगी। एक जिले में तैनात अधिकारी के पुनः उसी जिले में 05 वर्ष से पूर्व किसी भी दशा में तैनात नहीं किया जायेगा। अपवाद स्वरू९ उक्त अवधि 03 वर्ष होगी।

(2) समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए एक स्थान पर तैनाती की सामान्य अवधि 03–05 वर्ष होगी। यद्यपि पदों की आवष्यकता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है, किन्तु संवेदनशील पदों पर किसी भी कार्मिक को किसी भी दशा में 03 वर्ष से अधिक नहीं रखा जायेगा।

(3) राज्य के पर्वतीय जनपदों में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण किसी भी दशा में 03 वर्ष से पूर्व सुगम क्षेत्र में नहीं किया जायेगा।

(4) तैनाती अवधि की गणना प्रत्येक वर्ष के मई माह के अन्तिम दिवस को मानकर की जायेगी।

(5) यदि कोई कार्मिक दुर्गम स्थान में निर्धारित अवधि के बाद भी स्वेच्छा से रहना चाहता हो और रिक्ति को भरने के लिए प्रतिस्थानी की कमी हो, तो उसे दुर्गम स्थान में निरन्तर रखा जा सकता है।

(6) इन दुर्गम स्थान में फिक्स टेन्यूर पूरा करने के पश्चात उनकी इच्छानुसार 05 ऐच्छिक जगहों पर उनसे स्थानांतरण हेतु विकल्प मांगा जायेगा तथा उन्हीं जगहों में से किसी स्थान पर तैनात किया जायेग।

(7) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने के लिए मात्र दो वर्ष ही रह गये हों तो उन्हें उनकी इच्छानुसार तीन विकल्पों में से एक में तैनात किया जायेगा।

4. <u>श्रेणीवार कार्मिकों की तैनाती के स्थानः–</u>

(1) समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, लेकिन गैर संवेदनशील पद तथा दुर्गम स्थानों पर तैनाती में इस प्रतिबन्ध से छूट सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा दी जा सकती है।

(2) शिकायत/प्रशासनिक आधार पर हटाये गये अधिकारियों को किसी भी दशा में पुनः उसी जनपद/स्थान पर 03 वर्ष तक तैनात नहीं किया जायेगा।

(3) समूह 'ग' के लिपिकीय एवं अप्रशासकीय कार्मिकों को गृह स्थान को छोड़कर उनके जिले में ही तैनात किया जा सकता है, किन्तु सहूह 'ग' के प्रशासकीय पदधारकों के स्थानान्तरण जनपद के बाहर भी किये जा सकते हैं। बशर्ते की उक्त कार्मिकों के संवर्ग, मण्डल/प्रदेश स्तर पर निर्धारित किये जाते हों।चूंकि कई विभागों में समूह 'ग' के संवर्ग अलग–अलग हैं। अतः विभाग समूह 'ग' के संवर्ग के अनुसार भी मानक निर्धारित कर सकते हैं।

गृह स्थान का तात्पर्य ऐसे गांव/हल्का/तहसील आदि से है, जिसका वह मूल निवासी हो।

(4) तृतीय श्रेणी के कार्मिकों को 03 वर्ष के अन्तर पर दूसरी सीट पर तैनात कर दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें प्रत्येक सीट का कार्य करने का अवसर मिल सके। दुर्गम क्षेत्रों में यह अवधि 05 वर्ष अधिकतम की जा सकती है।

(5) समूह 'ध' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में ही तैनात किया जायेगा।

(6) सम्बन्धित कार्मिकों की प्रार्थना पर किये जाने वाले पारस्परिक स्थानान्तरणों में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(7) नैनीताल मुख्यालय एवं तहसील, हल्द्वानी, देहरादून (चकराता तहसील को छोड़कर) हरिद्वार तथा उधमसिंह नगर में जिला प्रशासन के पदों को सम्मिलित करते हुए किसी भी अधिकारी को निरन्तर 10 वर्ष से अधिक अवधि तक तैनात नहीं रखा जायेगा। देहरादून के जिला प्रशासन के पदो के अतिरिक्त अन्य पदों पर की गयी सेवाओं को उक्त अवधि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) यदि कोई अधिकारी उक्त स्थानों/जनपदों में किन्हीं पदों पर 10 वर्ष की कुल अवधि पूर्ण कर चुके हों तो, तुरन्त उसका स्थानान्तरण उक्त स्थान/जनपद से कर दिया

जायं किसी भी दशा में 05 वर्ष की समाप्ति तक पुनः उन्हीं जनपदों में कदापि तैनात नहीं किया जायं। जो अधिकारी ऐसे स्थानों/जनपदों में एक पद पर 03 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं, उनका भी उक्त पद/स्थान से स्थानान्तरण कर दिया जायं।

5. प्रशासनिक आधार पर किये जाने वाले स्थानान्तरणः–

(1) गम्भीर शिकायतों, उच्चाधिकारियों से दुर्व्यवहार एवं कार्य में अभिरूचि न लेने आदि के आधार पर ही आवश्यक पुष्टि के उपरान्त प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जायं।

(2) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण सामान्य प्रकार से ''मोटिवेटेड'' शिकायतों के आधार पर अथवा 'कैज्वली' न किये जायं।

(3) उक्त स्थानान्तरणों में प्रशासनिक आधार पर अंकित किय जाना आवश्यक होगा।

6. विभागाध्यक्षों/मण्डलायुक्तों/मण्डलस्तरीय अधिकारियों के स्थानान्तरण के अधिकार प्रदान किया जाना :–

(1) समूह 'क' के अधिकारियों के स्थानान्तरण इस हेतु गठित स्थायी समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे परन्तु जहां विभागाध्यक्ष का पद नहीं है वहां समूह 'ख' के अधिकारियों का स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा किये जायेंगे।

(2) समूह 'ग' तथा 'घ' के जनपद स्तरीय कार्मिक, जिनका स्थानान्तरण जनपद में ही किया जाना हैख का स्थानान्तरण जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर किये जायेगें। ऐसी समितियों में अधिकारी पदेन नामित किये जायेगें और एक अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा नामित किये जायेगें। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित पदेन अधिकारी भी सदस्य होंगे, की संस्तुति के आधार पर किये जायेंगे।

7. मार्गदर्शक सिद्धान्त :–

(1) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाय।

(2) यदि पति–पत्नी सरकारी सेवा में हो, तो उन्हें यथासम्भव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात किया जाय।

(3) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता–पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी डाक्टर के चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

(4) प्रतिकूल तथ्य न होने पर, दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है तथा समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, समीपवर्ती जनपद में तैनात किया जा सकता है।

8. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :–

(1) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों के कार्यमुक्त करने की तिथि तथा यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश के जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर, प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समय में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, और जो अधिकारी

स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं करेंगे उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरण आदेश की प्रति संबधित कोषाधिकारी को भी प्रेषित की जाय ताकि वे स्थानान्तरित कार्मिक के कार्यमुक्त होने की तिथि के पश्चात उसका वेतन आहरित न करें।

(2) दुर्गम क्षेत्र में कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वार तब तक अवमुक्त न किया जाय जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें।

(3) स्थानान्तरित कार्मिकों के किसी प्रकार का अवकाश का प्रार्थना पत्र स्वीकार न किया जायं।

(4) दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जायं तथा उन्हें 02 वर्ष तक प्रोन्नति से वंचित रखा जाय।

(5) स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नकरने उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

(9) <u>सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :–</u>

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष/सचिव भी सम्मिलित है, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाय। परन्तु लगातार 05 वर्ष की अधिक अवधि पत एक स्थान पर तैनात रहने पर सामान्य स्थानान्तरण के निर्देशों से व्यवहृत होंगे। यदि कोई सरकारी सेवक निरन्तर मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव रहता है, तो उस दशा में स्थानान्तरण न किये जाने की छूठ की अवधि अधिकतम 05 वर्ष होगी।

(10) <u>स्थानान्तरण हेतु समय – सारिणी :–</u>

(1) शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण यथा सम्भव 15 जून तक पूर्ण किये जाय। 15 जून के उपरान्त कमेटी द्वारा विचारोपरान्त शासन स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु समूह 'क' तथा 'ख' के अधिकारियों के लिए विभागीय मंत्री के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन तथा समूह 'ग' तथा 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी को अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(2) यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशेषताओं के क्रम में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो सकारण प्रस्तुत कर मुख्य सचिव एवं मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायं।

(11) <u>स्थानान्तरण रोनके के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :–</u>

(1) यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पत्नी अथवा अन्य संबंधितों से प्रत्यावेदन प्रेषित किया जाते है तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जाय और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय।

(2) स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जायं। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध ''उत्तरांचल'' सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003'' के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाय।

(3) यदि किसी स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा अपने स्थानान्तरण को रोकने के लिए स्वयं प्रत्यावेदन दिया जाता है तो ऐसे प्रत्यावेदनों पर स्थानान्तरण हेतु गठित कमेटी द्वारा ही विचार किया जायेगा।

(12) चार्ज नोट :–

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों को कार्य की जानकारी होने में समय लगना स्वाभाविक है। अतः स्थानान्तरित अधिकारी महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बनायेंगे, ताकि स्थानान्तरण के फलस्वरूप आये नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सूविधा होगी। उस चार्ज नोट की एक प्रति गार्ड फाईल में रखी जायेगी और एक प्रति संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

13–1. यह स्थानान्तरण नीति जब तक शासन द्वारा विखण्डित न कर दी जाय, यथावत लागू रहेगी। लोक हित में तथा विशेष परिस्थिति में इस नीति अथवा नीति के आधार पर क्रियान्वयन में कियी भी परिवर्तन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।

13–2. स्थानान्तरण नीति के पैरा–6 में उल्लिखित व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0ए0एस0), भारतीय पुलिस सेवा (आई0पी0एस0) एवं पी0सी0एस0 तथा पी0पी0एस0 अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

14– उपरोक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(एस0के0दास)
मुख्य सचिव

संख्या :– 588 /XXX(2) 2008, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव श्री राज्यपाल।
2– सचिव, विधान सभा।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव

मैनुअल–7

लोक सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

Manual-7

The names, designations and other particulars of the Public Information Officers

उत्तराखण्ड शासन
पेयजल अनुभाग–1
सं.–सू.अ.–22/XXIX (1)/09-(08 सूचना)/2007
देहरादूनः दिनांक 23, मार्च, 2008

कार्यालय –ज्ञाप

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल संस्थान में अपीलीय अधिकारी के नामांकन विषयक निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं.–65/XXIX(1)/08-(08 सूचना)/2007 दिनांक 23.09.2008 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप में इंगित अपीलय अधिकारियों के स्थान पर एतद् द्वारा निम्नवत् अधिकारियों को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता हैः–

क0 सं0	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	अपीलीय अधिकारी	कार्य क्षेत्र
1	उत्तराखण्ड जल संस्थान	महाप्रबन्धक (कुमायूॅ)	समस्त कुमायूॅ मण्डल
		महाप्रबन्धक (गढ़वाल)	गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी एवं टिहरी।
		महाप्रबन्धक(मुख्यालय)	गढ़वाल मण्डल के जनपद देहरादून एवं हरिद्वार।

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(एम. एम. खान)
सचिव

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग देहरादून।
2– सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन
3– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
4– आयुक्त गढ़वाल/कुमायूॅ मण्डल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को उनके पत्रांक 4960/सू.अधि. अधि.–2005(अ.अ.)/2008ऋ09 दिनांक 26.02.2008 के क्रम में ।
7– निदेशक , एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तरांचल देहरादून ।
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञासे

(नवीन सिंह तड़ागी)
अप सचिव

उत्तरांचल शासन
पेयजल अनुभाग–1
संख्या 2791/ उन्तीस /05–2पे0/ 2005
देहरादून दिनांक 27 जुलाई, 2005

कार्यालय –ज्ञाप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–2(ज) के प्राविधान अंतर्गत पेयजल विभाग में एतद्द्वारा निम्न विवरणानुसार लोक प्राधिकारी इकाइया घोषित की जाती है ।

1– उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11मोहनी रोड, देहरादून ।
2– उत्तरांचल जल संस्थान , जल भवन ,50 बी0 ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून।
3– परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना , मसूरी डायवर्जन रोड, मक्कावला देहरादून ।

बी0पी0पाण्डेय
सचिव

पृष्ठांकन संख्या 2791 तद् दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, सूचना , उत्तरांचल शासन ।
2– समस्त सचिव/ प्रमुख सचिव , उत्तरांचल शासन ।
3– स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव ,उत्तरांचल शासन ।
4– आयुक्त गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल ।
5– समस्त जिलाधिकारी ,उत्तरांचल ।
6– प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल पेयजल निगम ,देहरादून ।
7– निदेशक, पी0एम0यू0 स्वजल परियोजना, देहरादून ।
8– मुख्य महाप्रबन्धक , उत्तरांचल जल संस्थान , देहरादून ।
9– निदेशक , एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तरांचल देहरादून ।
10– गार्ड फाइल ।

आज्ञासे

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान
'जल भवन' बी–ब्लाक नेहरु कालोनी देहरादून।

आदेश संख्या– 2724/सू. का अधि.अधि., 2005 /2011–12 दिनांक 25/07/11

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्याः 581/सू. का अधि.अधि., 2005/2010–11 दिनांक 29.04.11 से श्री आर.एल.एस. बिष्ट, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून को मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय एवं कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1062 दिनांक 19.05.10 से कार्यालय महाप्रबन्धक(मुख्यालय) उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून हेतु सहायक लेखाधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया था।

कार्यहित में इन कार्यालय आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक(मुख्यालय) उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून हेतु श्री एस.सी. अग्रवाल, लेखाधिकारी/सम्परीक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

इस कार्य हेतु इन्हें अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

(डी.डी. डिमरी)
मुख्य महाप्रबन्धक

आदेश संख्या– 2724/सू. का अधि.अधि., 2005 /2011–12 दिनांक 25/07/11

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. वित्त निदेशक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
3. उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सैक्टर 1, सी–30 डिफैन्स कालोनी देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
5. जिलाधिकारी देहरादून।
6. महाप्रबन्धक(मु.), उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
7. सचिव(प्रशासन/अप्रैजल) उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
8. श्री आर.एल.एस. बिष्ट, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
10. श्री एस.सी. अग्रवाल, लेखाधिकारी/सम्परीक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
11. सहायक लेखाधिकारी(अधि.) उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
12. संबंधितों की व्यक्तिगत पत्रावली मुख्यालय
13. आदेश पंजिका/ गार्ड फाइल(सूचना का अधिकार अधिनियम/अधिष्ठान)।

मुख्य महाप्रबन्धक

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान,
जल भवन, बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।

पत्रांकः 3698 / सू.का अधि.अधि. 2005 / 2008–09 दिनांक 25.11.08

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2093 दिनांक 10.08.05 से लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया गया था। व्यापक जनहित में लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को निम्न प्रकार पुनरीक्षित किया जाता है–

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
1	उत्तराखण्ड जल संस्थान	श्री एस.सी. अग्रवाल, लेखाधिकारी / सम्परीक्षाधिकारी	पत्रांक 2724 दिनांक 25.07.11 से लोक सूचना अधिकारी नामित।
2	–तदैव–	श्री एस.सी. अग्रवाल, लेखाधिकारी / सम्परीक्षाधिकारी	पत्रांक 2724 दिनांक 25.07.11 से लोक सूचना अधिकारी नामित।
3	–तदैव–	सहायक लेखाधिकारी महाप्रबन्धक कार्यालय गढ़वाल	–
4	–तदैव–	वरिष्ठतम् लेखाधिकारी महाप्रबन्धक कार्यालय कुमायूँ	–
5	–तदैव–	अधीक्षण अभियन्ता नगर दे0दून	–
6	–तदैव–	अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीणदे0दून	–
7	–तदैव–	अधीक्षण अभियन्ता पौड़ी	–
8	–तदैव–	अधीक्षण अभियन्ता हरिद्वार	–
9	–तदैव–	अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय भण्डार	–
10	–तदैव–	अधीक्षण अभियन्ता टिहरी	–
11	–तदैव–	अधीक्षण अभियन्ता चमोली	–
12	–तदैव–	अधीक्षण अभियन्ता हल्द्वानी	–
13	–तदैव–	अधीक्षण अभियन्ता अल्मोड़ा	–
14	–तदैव–	अधीक्षण अभियन्ता पिथौरागढ़	–
15	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड देहरादून	सहायक अभियंता (सहसपुर) सहायक अभियंता डोईवाला सहायक अभियंता (कालसी)
16	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता (उत्तर)	–
17	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता (दक्षिण)देहरादून	–
18	–तदैव–	अधिशासी अभियंता पित्थूवाला	–
19	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता केन्द्रीय भण्डार	–

क्र. सं.	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
20	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता पौड़ी	सहायक अभियंता (सतपुली)
			सहायक अभियंता (श्रीनगर)
21	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता चमोली	सहायक अभियंता (चमोली)
			सहायक अभियंता (कर्णप्रयाग)
22	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता उत्तरकाशी	सहायक अभियंता (बडकोट)
23	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता रूद्रप्रयाग	–
24	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता टिहरी	सहायक अभियंता (देवप्रयाग)
			सहायक अभियंता नरेन्द्रनगर
			सहायक अभियंता काण्डीसौड़
25	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता मसूरी	–
26	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता कोटद्वार	जलकल अभियंता (कोटद्वार)
27	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता हरिद्वार	जलकल अभियंता रुड़की
			जलकल अभियंता हरिद्वार
28	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता नैनीताल	सहायक अभियंता नैनीताल
29	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता बागेश्वर	–
30	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता चम्पावत	सहायक अभियंता टनकपुर
			सहायक अभियंता लोहाघाट
31	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता पिथौरागढ़	सहायक अभियंता गंगोलीहाट
32	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता डीडीहाट	–
33	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता अल्मोड़ा	सहायक अभियंता अल्मोड़ा
34	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता रानीखेत	सहायक अभियंता मासी
35	–तदैव–	अधिशासी अभियन्ता उधमसिंहनगर	सहायक अभियंता काशीपुर
			सहायक अभियंता खटीमा
36	–तदैव–	अधिशासीअभियन्ता हल्द्वानी	–
			सहायक अभियंता कोटाबाग
37	–तदैव–	अधिशासी अभियंता रामनगर	सहायक अभियंता काशीपुर
			सहायक अभियंता सल्ट
38	–तदैव–	जलकल अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान विकासनगर	पत्रांक 1062 दिनांक 19.05.10 से लोक सूचना अधिकारी नामित।
39	–तदैव–	जलकल अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान विकासनगर।	पत्रांक 1062 दिनांक 19.05.10 से लोक सूचना अधिकारी नामित।

इन कार्मिकों को इस कार्य हेतु अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

-Sd-

(एच0पी0 उनियाल)
मुख्य महाप्रबन्धक

पत्रांकः /सू.का अधि.अधि. 2005/2008–09 दिनांक

संख्या एवं दिनांक तदैवः
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव,सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सैक्टर 1, सी–30 डिफैन्स कालोनी देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड
5. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान पौड़ी/नैनीताल।
6. सचिव(अप्रैजल) उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
7. समस्त अधीक्षण अभियंता/लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान ....
8. समस्त अधिशासी अभियंता/लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान ....
9. समस्त सहायक अभियंता/सहायक लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान ....
10. सम्बन्धित अनुभाग/गार्ड फाइल।

-Sd-
सचिव(प्रशासन)

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान 'जल भवन' बी–ब्लाक नेहरु कालोनी देहरादून।

आदेश संख्याः 1981 /सू. का अधि.अधि. 2005/2013–14 दिनांक 25.06.2013

<u>कार्यालय आदेश</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्याः 3698 दिनांक 25.11.08 से लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया गया था। नई शाखाओं का सृजन होने एवं लोक सूचना अधिकारी श्री एस0सी0 अग्रवाल की दिनांक 30.06.13 को सेवानिवृत्त होने के कारण उक्त कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुए जनहित में लोक सूचना अधिकारियों को निम्नानुसार नामित किया जाता है:–

क.स.	लोक प्राधिकारी इकाई	लेक सूचना अधिकारी	कार्यक्षेत्र
1	उत्तराखण्ड जल संस्थान	श्री के.के. पाण्डे, लेखाकार	मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय देहरादून
2	–तदैव–	श्री के.के. पाण्डे, लेखाकार	महाप्रबन्धक (मु0) देहरादून
3	–तदैव–	अधिशासी अभियंता	शाखा देवप्रयाग
4	–तदैव–	अधिशासी अभियंता	शाखा हरिद्वार (गंगा)

इन कार्मिकों को इस कार्य हेतु अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/–
(डी0डी0 डिमरी)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृष्ठांकन संख्याः 1981 /सू. का अधि.अधि. 2005/2013–14 तद्दिनांक 25.06.2013

<u>प्रतिलिपि</u>–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, पेयजल उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सैक्टर 1 सी–30 डिफैंस कालोनी देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– जिलाधिकारी देहरादून/ हरिद्वार/ टिहरी।
5– महाप्रबन्धक(मु0) उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
6– सचिव प्रशासन/अप्रैजल उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7– अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, टिहरी/हरिद्वार।
8– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, टिहरी/देवप्रयाग/हरिद्वार/हरिद्वार(गंगा)।
9– वरिष्ठ लेखाधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
10– लेखाधिकारी(अधि0) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11– सम्बन्धित को नाम से/पी0एफ0 (मु0)।
12– आदेश पंजिका/गार्ड फाइल(सूचना का अधिकार)।

ह0/–
मुख्य महाप्रबन्धक

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान 'जल भवन' बी–ब्लाक नेहरु कालोनी देहरादून।

आदेश संख्याः 2411 /सू. का अधि.अधि. 2005/2013–14 दिनांक 11.07.2013

<u>कार्यालय आदेश</u>

कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1981/सू.का.अधि.अधि. 2005/2011–12 दिनांक 25.06.13 से श्री के0के0 पाण्डे लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून को कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक देहरादून एवं महाप्रबन्धक (मु0) उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून हेतु लोक सूचना अधिकारी को नामित किया गया था।

कार्यहित में उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक एवं महाप्रबन्धक (मु0) उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून हेतु श्री के0के0 पाण्डे लेखाकार/वरिष्ठ सम्परीक्षक उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के स्थान पर श्री सुबोध कुमार सचिव प्रशासन उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

इस कार्य हेतु इन्हें अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/–
(डी0डी0 डिमरी)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृष्ठांकन संख्याः 2411 /सू. का अधि.अधि. 2005/2013–14 तद्दिनांक 11.07.2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, पेयजल उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन रिंग रोड लाडपुर देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
5– महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान(मु0/टी0आर0एम0)देहरादून/पौड़ी/नैनीताल पिथौरागढ़।
6– सचिव प्रशासन/अप्रैजल उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7– समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान.........................।
8– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान......................।
9– वरिष्ठ लेखाधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
10–लेखाधिकारी(अधि0) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11– सम्बन्धित को नाम से/पी0एफ0 (मु0)।
12– आदेश पंजिका/गार्ड फाइल(सूचना का अधिकार)।

ह0/–
मुख्य महाप्रबन्धक

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान 'जल भवन' बी–ब्लाक नेहरु कालोनी देहरादून।

आदेश संख्याः 2647 /सू. का अधि.अधि. 2005/2013–14 दिनांक 22.07.2013

कार्यालय आदेश

संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 686/उन्तीस(1)/2013–08सू0/2007 पेयजल अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 18.07.13 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सचिव पेयजल उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सू.अ.–22/xxlx(1)/09–(08 सूचना)/2007 देहरादून दिनांक 23.03.08 में अपीलीय अधिकारी महाप्रबन्धक कुमायूं का कार्यक्षेत्र समस्त कुमायूं मण्डल में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप में इंगित अपीलीय अधिकारियों स्थान पर एतद् द्वारा निम्नवत अधिकारियों को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है:–

क.स.	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	अपीलीय अधिकारी	कार्यक्षेत्र
1	उत्तराखण्ड जल संस्थान	महाप्रबन्धक नैनीताल	नैनीताल, हल्द्वानी रामनगर, ऊधमसिंह नगर रानीखेत, अल्मोड़ा
2	उत्तराखण्ड जल संस्थान	महाप्रबन्धक पिथौरागढ़	पिथौरागढ़, डीडीहाट, चम्पावत, बागेश्वर
3	उत्तराखण्ड जल संस्थान	महाप्रबन्धक गढ़वाल	गढ़वाल मण्डल के जनपद चमोली, रूद्रपयाग, पौड़ी
4	उत्तराखण्ड जल संस्थान	महाप्रबन्धक मुख्यालय	गढ़वाल मण्डल के जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून एवं हरिद्वार

उक्त कार्यालय ज्ञाप को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें। इस कार्य हेतु इन्हें अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/–
(डी0डी0 डिमरी)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृष्ठांकन संख्याः 2647 /सू. का अधि.अधि. 2005/2013–14 तद्दिनांक 22.07.2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, पेयजल उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन रिंग रोड लाडपुर देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
5– महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान(मु0/टी0आर0एम0)देहरादून/पौड़ी/नैनीताल पिथौरागढ़।
6– सचिव प्रशासन/अप्रैजल उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7– समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान........................।
8– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान.....................।
9– वरिष्ठ लेखाधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
10– लेखाधिकारी(अधि0) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11– सम्बन्धित को नाम से/पी0एफ0 (मु0)।
12– आदेश पंजिका/गार्ड फाइल(सूचना का अधिकार)।

ह0/–
मुख्य महाप्रबन्धक

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान 'जल भवन' बी–ब्लाक नेहरु कालोनी देहरादून।

आदेश संख्याः 2737 /सू. का अधि.अधि. 2005/2013–14 दिनांक 25.07.2013

<u>कार्यालय आदेश</u>

कार्यालय आदेश संख्या–2647/सु.काअधि.अधि.2005/2013–14 दिनांक 22.07.13 के क्रमांक–2 में महाप्रबन्धक पिथौरागढ़ का कार्यक्षेत्र नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, ऊधमसिंह नगर, रानीखेत, अल्मोड़ा, के स्थान पर पिथौरागढ़, डीडीहाट, चम्पावत, बागेश्वर पढ़ा जाए।

उक्त कार्यालय ज्ञाप को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

ह0/–
(डी0डी0 डिमरी)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृष्ठांकन संख्याः 2737 /सू. का अधि.अधि. 2005/2013–14 तद्दिनांक 25.07.2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, पेयजल उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन रिंग रोड लाडपुर देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
5– महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान(मु0/टी0आर0एम0)देहरादून/पौड़ी/नैनीताल पिथौरागढ़।
6– सचिव प्रशासन/अप्रैजल उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7– समस्त अधीक्षण अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान.........................।
8– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान......................।
9– वरिष्ठ लेखाधिकारी उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
10– लेखाधिकारी(अधि0) उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11– सम्बन्धित को नाम से/पी0एफ0 (मु0)।
12– आदेश पंजिका/गार्ड फाइल(सूचना का अधिकार)।

ह0/–
मुख्य महाप्रबन्धक

मैनुअल–8

निर्णय लेने की प्रक्रिया

Manual-8

Procedure followed in Decision Making Process

मैनुवल–8

‘कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक / नियम’

योजनाओं का चयन

जिला योजना :– जिला अनुश्रवण समिति द्वारा जनपद की योजनायें अनुमोदित कर शासन को प्रस्तावित की जाती है । अनुमोदित योजनाओं के सापेक्ष शासन द्वारा बजट आवंटित किया जाता है । बजट आवंटन के उपरान्त प्राक्कलन विरचन शाखा स्तर पर किया जाता है , जिसकी अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर कार्य सम्पादित किये जाते हैं ।

राज्य योजना :– शासन द्वारा आवंटित परिव्यय के सापेक्ष योजनाओं का चयन सचिव पेयजल की अध्यक्षता में गठित राज्य सेक्टर ग्रामीण / नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं की चयन समिति द्वारा योजनायें चयन की जाती है । इन चयनित योजनाओं के सापेक्ष बजट आवंटन के उपरान्त योजनायें कियान्वित की जाती है ।

कियान्वयन प्रकिया :–

प्राक्कलन विरचन : योजना चयन के उपरान्त योजना का प्रारम्भिक एवं विस्तृत सर्वेक्षण एवं योना से सम्बन्धित समस्त आंकड़े अवर अभियन्ता द्वारा संकलित किये जाते हैं । योजना में प्रस्तावित प्रमुख कार्य जैसे श्रोत पर उपलब्ध जल की मात्रा, पाइप लाइन का संरेखण का निर्धारण इत्यादि की तकनीकी नियन्त्रण सहायक अभियन्ता स्तर पर किया जाता है तथा योजना का डिजाइन तथा प्राक्कलन विरचन का उत्तरदायित्व सहायक अभियन्ता का होता है।

स्वीकृति की प्रकिया : योजना का अप्रैजल मुख्यालय स्थित अप्रैजल विंग से कराने के उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा प्राक्कलन स्वीकृत किया जाता है ।

सुपरविजन : सम्बन्धित अवर अभियन्ता कार्यस्थल पर सम्पादित हो रहे कार्यो के लिये पूर्णरूप से उत्तरदायी है । सहायक अभियन्ता कार्यो की गुणवत्ता तथा प्रगति के लिये उत्तरदायी है । अधिशासी अभियन्ता योजना के कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता का अनुश्रवण कर विभागीय मानकों एवं शासन की नीति के अनुसार निर्देश पारित करते हैं तथा नियमों के अनुपालन के लिये उत्तरदायी हैं । अधीक्षण अभियन्ता तथा महाप्रबन्धक द्वारा समय–समय पर योजनाओं का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना में पूर्ण गुणवत्ता से कार्य करवाया जा रहा है तथा यह जनता के लिये यथेष्ठ उपयोगी सिद्ध होगी।